3,



EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 420]

No.

420

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 20, 2012/फाल्पुन 30, 1933

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 20, 2012/PHALGUNA 30, 1933

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2012

का.आ. 497(अ).—केन्द्रीय सरकार, नैदानिक स्थापन (रिजस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 23) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बनने वाली नैदानिक राष्ट्रीय स्थापन परिषद् की स्थापना करती है, अर्थात् :—

l.	महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, पदेन-	—अध्यक्ष;
2.	आचार्य, अनमोल कलहा, प्रमुख स्नातकोत्तर अध्ययन, दंत अध्ययन और प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली, मेरठ रोड, रा.रा58, कदराबाद, मोदीनगर-201201 जिला गाजीपुर (उ.प्र.)- भारतीय दंत परिषद् का निर्वाचित प्रतिनिधि-	सदस्य;
3.	आचार्य, के. के. तलवार, अध्यक्ष, शासी बोर्ड, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, पाकेट-14, सैक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली-110077-भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् का निर्वाचित प्रतिनिधि-	—सदस्य;
4.	डा. के. रेडिम्मा, संकायध्यक्ष, व्यवहारिक विज्ञान परिचर्चा विभाग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइन्स, बैंगलोर-560029-भारतीय परिचर्चा परिषद् का निर्वाचित प्रतिनिधि-	—सदस्य;
5.	डा. टी. के. रिव, प्रधानाचार्य भेषजी महाविद्यालय, श्री राम कृष्ण इस्टीट्यूट ऑफ पैरामैडीकल साइन्सेज, 395 सोजनी नायडू रोड, कोयम्बतूर, तिमलनाडु-641044 भारतीय भेषजी परिषद् का निर्वाचित प्रतिनिधि-	सदस्य;
6.	डा. जयप्रकाश नरायण, उपाध्यक्ष (आयुर्वेद), 93, III क्रास, पहला चरण, डॉलर स्कीम, बीटीएम लेआउट, बैंगलोर-600068-औषधि की आयुर्वेद प्रणाली का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय आयुर्विज्ञान केन्द्रीय परिषद् का निर्वाचित प्रतिनिधि-	सदस्य; -
7.	आचार्य, हकीम सईद खलीफातुल्लाह, उपाध्यक्ष (यूनानी) 109, भारती सलई, त्रिपलीकेन, चेन्नई, तिमलनाडु-600005-आयुर्विज्ञान की यूनानी प्रणाली का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय आयुर्विज्ञान केन्द्रीय परिषद् का निर्वाचित प्रतिनिधि-	—सदस्य;
8.	डा. वी. स्टैनली जोन्स, उपाध्यक्ष (सिद्ध) टीसी 36/1917-3, बैंक	सदस्य;

अॉफ बड़ौदा के निकट, इनचक्कल जंक्शन, तिरुवनंतपुरम, पिन- 695008-आयुर्विज्ञान की यूनानी प्रणाली का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय आयुर्विज्ञान केन्द्रीय परिषद् का निर्वाचित प्रतिनिधि- 9. डा० रामजी सिंह, अध्यक्ष, केन्द्रीय डोम्योपैथी परिषद् जवाहर लाल नेहरु भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसंधान मवन, नं० 61-65, इंस्टीट्यूशनल एरिया, डी-ब्लॉक के सामने, जनकपुरी, नई दिल्ली- 110058 केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् का निर्वाचित प्रतिनिधि- 10. डा० डी.आर.चाय,वित्त सिंव, इंडियन मैडिकल एसोसिएशन, मैडिकल एसोसिएशन हा निर्वाचित प्रतिनिधि- 11. श्री राकेश कुमार, वैज्ञानिक 'एफ' चिकित्सा उपस्कर और अस्पताल योजना (चिकित्सीय अस्पताल प्रमाग), का प्रमुख, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 भारतीय मानक ब्यूरो का प्रतिनिधि- 12. मुख्य सिंव, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद या उसका नामनिर्देशिती, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 के अधीन गठित आंचित्क परिषद् का प्रतिनिधि- 13. मुख्य सिंव, महाराष्ट्र सरकार या उसका नामनिर्देशिती, राज्य पुनर्गठन अधिनयम, 1956 की धारा 15 के अधीन गठित आंचित्क परिषद् का प्रतिनिधि- 14. सलाहकार (योजना) पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अधीन गठित पूर्वोत्तर परिषद् का प्रतिनिधि- 15. सलाहकार (योजना) पूर्वोत्तर परिषद् केत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, नॉनप्रिम हिल्स, शिलॉन-793003 पूर्वोत्तर परिषद् का प्रतिनिधि- 16. डा० एन.के.मोहंती, विशेष महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय निमार्ण भवन, नई दिल्ली- पराचिकित्सा प्रणालियों के क्षेत्र से एक प्रतिनिधि- 17. डा० वी.पटेल, अध्यक्ष, उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान सोसाइटी, ''सुखा संकुल'' थालतेज, सरकेज गांधीनगर राजमार्ग, अहमवाबाद- 380054-रास्ट्रीय स्तर उपमोक्ता समूह का प्रतिनिधि-			
नेहरू भारतीय चिकित्सा एवं होन्योपैथी अनुसंधान भवन, नं0 61-65, इंस्टीट्यूशनल एरिया, डी-ब्लॉक के सामने, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् का निर्वाचित प्रतिनिधि- 10. डा0 डी.आर.राय,वित्त सचिव, इंडियन मैडिकल एसोसिएशन, मैडिकल एसोसिएशन हाउस, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110002 इंडियन मैडिकल एसोसिएशन का निर्वाचित प्रतिनिधि- 11. श्री राकेश कुमार, वैज्ञानिक 'एफ' चिकित्सा उपस्कर और अस्पताल योजना (चिकित्सीय अस्पताल प्रभाग), का प्रमुख, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 भारतीय मानक ब्यूरो का प्रतिनिधि- 12. मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद या उसका नामनिर्देशिती, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 के अधीन गठित आंचलिक परिषद् का प्रतिनिधि- 13. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार या उसका नामनिर्देशिती, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 के अधीन गठित आंचलिक परिषद् का प्रतिनिधि- 14. सलाहकार (खांस्थ्य) पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 की धारा 3 कं अधीन गठित पूर्वोत्तर परिषद् का प्रतिनिधि- 15. सलाहकार (योजना) पूर्वोत्तर परिषद् का प्रतिनिधि- 15. सलाहकार (योजना) पूर्वोत्तर परिषद् केत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अधीन गठित पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अधीन गठित पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अधीन गठित पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अधीन गठित पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अधीन गठित पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अधीन गठित पूर्वोत्तर परिषद् का प्रतिनिधि- 16. डा० एन.के.मोहंती, विशेष महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय सदस्य ; परिषद् निर्माणं भवन, नई दिल्ली- पराचिकित्सा प्रणालियों के क्षेत्र से एक प्रतिनिधि- 17. डा० वी.पटेल, अध्यक्ष, उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान सोसाइटी, "सदस्य ; सदस्य उपभोक्ता समूह का प्रतिनिधि-		695008-आयुर्विज्ञान की यूनानी प्रणाली का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय आयुर्विज्ञान केन्द्रीय परिषद् का निर्वाचित प्रतिनिधि-	/
10. डांं डी.आर.राय, वित्त सचिव, इंडियन मैडिकल एसोसिएशन, मैडिकल एसोसिएशन हाउस, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110002 इंडियन मैडिकल एसोसिएशन का निर्वाचित प्रतिनिधि- 11. श्री राकेश कुमार, वैज्ञानिक 'एफ' चिकित्सा उपस्कर और अस्पताल योजना (चिकित्सीय अस्पताल प्रभाग), का प्रमुख, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 भारतीय मानक ब्यूरो का प्रतिनिधि- 12. मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद या उसका नामनिर्देशिती, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 के अधीन गठित आंचलिक परिषद् का प्रतिनिधि- 13. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार या उसका नामनिर्देशिती, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 के अधीन गठित आंचलिक परिषद् का प्रतिनिधि- 14. सलाहकार (स्वास्थ्य) पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अधीन गठित पूर्वोत्तर परिषद् का प्रतिनिधि- 15. सलाहकार (योजना) पूर्वोत्तर परिषद् केत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अधीन गठित पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 की धारा 3 सदस्य ; परिषद् सचिवालय, नॉनिप्रिम हिल्स, शिलॉग-793003 पूर्वोत्तर परिषद् का प्रतिनिधि- 16. डांं एन.के.मोहंती, विशेष महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय सदस्य ; मार्ग भवन, नई दिल्ली- पराचिकित्सा प्रणालियों के क्षेत्र से एक प्रतिनिधि- 16. डांं एन.के.मोहंती, विशेष महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय सदस्य ; सदस्य ; स्वर्य ; स्वर्य ; स्वर्य ; स्वर्य ; सुरक्षा संकुल" थालतेज, सरकेज गांधीनगर राजमार्ग, अहमदाबाद-380054-राष्ट्रीय रतर उपभोक्ता समूह का प्रतिनिधि-	9.	नेहरु भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसंधान भवन, नं0 61-65, इंस्टीट्यूशनल एरिया, डी-ब्लॉक के सामने, जनकपुरी, नई दिल्ली-	सदस्य ;
योजना (चिकित्सीय अस्पताल प्रमाग), का प्रमुख, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 भारतीय मानक ब्यूरो का प्रतिनिधि- 12. मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद या उसका नामनिर्देशिती, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 के अधीन गठित आंचलिक परिषद् का प्रतिनिधि- 13. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार या उसका नामनिर्देशिती, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 के अधीन गठित आंचलिक परिषद् का प्रतिनिधि- 14. सलाहकार (स्वार्थ्य) पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अधीन गठित पूर्वोत्तर परिषद् का प्रतिनिधि- 15. सलाहकार (योजना) पूर्वोत्तर परिषद् केत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अधीन गठित पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अधीन गठित पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अधीन गठित पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, निर्माण भवन, नई दिल्ली- पराचिकित्सा प्रणातियों के क्षेत्र से एक प्रतिनिधि- 16. डा० एन.के.मोहंती, विशेष महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय सदस्य ; निर्माण भवन, नई दिल्ली- पराचिकित्सा प्रणातियों के क्षेत्र से एक प्रतिनिधि- 17. डा० वी.पटेल, अध्यक्ष, उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान सोसाइटी, सदस्य ; "सुरक्षा संकुल" थालतेज,सरकेज गांधीनगर राजमार्ग, अहमदाबाद-380054-राष्ट्रीय रत्तर उपभोक्ता समूह का प्रतिनिधि-	10.	डां0 डी.आर.राय,वित्त सचिव, इंडियन मैडिकल एसोसिएशन, मैडिकल एसोसिएशन हाउस, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110002	सदस्य ;
नामनिर्देशिती, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 के अधीन गठित आंचलिक परिषद् का प्रतिनिधि- 13. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार या उसका नामनिर्देशिती, राज्य परिषद् का प्रतिनिधि- 14. सत्रस्य परिषद् का प्रतिनिधि- 14. सताहकार (स्वास्थ्य) पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 की धारा 3 सदस्य ; के अधीन गठित पूर्वोत्तर परिषद् का प्रतिनिधि- 15. सलाहकार (योजना) पूर्वोत्तर परिषद् क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 की धारा 3 सदस्य ; परिषद् सचिवालय, नॉनग्रिम हिल्स, शिलॉग-793003 पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अधीन गठित पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अधीन गठित पूर्वोत्तर परिषद् का प्रतिनिधि- 16. डा० एन.के.मोहंती, विशेष महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय सदस्य ; निमार्ण भवन, नई दिल्ली- पराचिकित्सा प्रणालियों के क्षेत्र से एक प्रतिनिधि- 17. डा० वी.पटेल, अध्यक्ष, उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान सोसाइटी, सदस्य ; "सुरक्षा संकुल" थालतेज, सरकेज गांधीनगर राजमार्ग, अहमदाबाद-380054-राष्ट्रीय रत्तर उपभोक्ता समूह का प्रतिनिधि-	11.	योजना (चिकित्सीय अस्पताल प्रभाग), का प्रमुख, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 भारतीय मानक ब्यूरो	सदस्य ;
पुनर्गंटन अधिनियम, 1956 की धारा 15 के अधीन गठित आंचलिक परिषद् का प्रतिनिधि- 14. सलाहकार (स्वारध्य) पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 की धारा 3 सदस्य ; के अधीन गठित पूर्वोत्तर परिषद् का प्रतिनिधि- 15. सलाहकार (योजना) पूर्वोत्तर परिषद् क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अधीन गठित पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अधीन गठित पूर्वोत्तर परिषद् का प्रतिनिधि- 16. डा० एन.के.मोहंती, विशेष महानिदेशक, स्वारध्य सेवा महानिदेशालय सदस्य ; निमार्ण भवन, नई दिल्ली- पराचिकित्सा प्रणालियों के क्षेत्र से एक प्रतिनिधि- 17. डा० वी.पटेल, अध्यक्ष, उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान सोसाइटी, सदस्य ; "सुरक्षा संकुल" थालतेज,सरकेज गांधीनगर राजमार्ग, अहमदाबाद-380054-राष्ट्रीय रत्तर उपभोक्ता समूह का प्रतिनिधि-	12.	नामनिर्देशिती, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 के	सदस्य ;
के अधीन गठित पूर्वोत्तर परिषद् का प्रतिनिधि- 15. सलाहकार (योजना) पूर्वोत्तर परिषद् क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद् अपिनयम, नॉनग्रिम हिल्स, शिलॉंग-793003 पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अधीन गठित पूर्वोत्तर परिषद् का प्रतिनिधि- 16. डा० एन.के.मोहंती, विशेष महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय सदस्य ; निमार्ण भवन, नई दिल्ली- पराचिकित्सा प्रणालियों के क्षेत्र से एक प्रतिनिधि- 17. डा० वी.पटेल, अध्यक्ष, उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान सोसाइटी, सदस्य ; "सुरक्षा संकुल" थालतेज, सरकेज गांधीनगर राजमार्ग, अहमदाबाद-380054-राष्ट्रीय स्तर उपभोक्ता समूह का प्रतिनिधि-	13.	पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 के अधीन गठित आंचलिक परिषद् का प्रतिनिधि-	सदस्य ;
परिषद् सचिवालय, नॉनिग्रिम हिल्स, शिलॉंग-793003 पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अधीन गठित पूर्वोत्तर परिषद् का प्रतिनिधि- 16. डा० एन.के.मोहंती, विशेष महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय सदस्य ; निमार्ण भवन, नई दिल्ली- पराचिकित्सा प्रणालियों के क्षेत्र से एक प्रतिनिधि- 17. डा० वी.पटेल, अध्यक्ष, उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान सोसाइटी, सदस्य ; "सुरक्षा संकुल" थालतेज, सरकेज गांधीनगर राजमार्ग, अहमदाबाद- 380054-राष्ट्रीय रत्तर उपभोक्ता समूह का प्रतिनिधि-	14.		सदस्य ;
निमार्ण भवन, नई दिल्ली- पराचिकित्सा प्रणालियों के क्षेत्र से एक प्रतिनिधि- 17. डा० वी.पटेल, अध्यक्ष, उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान सोसाइटी, सदस्य ; "सुरक्षा संकुल" थालतेज, सरकेज गांधीनगर राजमार्ग, अहमदाबाद- 380054-राष्ट्रीय स्तर उपभोक्ता समूह का प्रतिनिधि-	15.	परिषद् सचिवालय, नॉनग्रिम हिल्स, शिलाँग-793003 पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अधीन गठित पूर्वोत्तर परिषद् का	सदस्य ;
"सुरक्षा संकुल" थालतेज, सरकेज गांधीनगर राजमार्ग, अहमदाबाद- 380054-राष्ट्रीय स्तर उपभोक्ता समूह का प्रतिनिधि-	16.	निमार्ण भवन, नई दिल्ली- पराचिकित्सा प्रणालियों के क्षेत्र से एक	सदस्य ;
	17.	"सुरक्षा संकुल" थालतेज, सरकेज गांधीनगर राजमार्ग, अहमदाबाद- 380054-राष्ट्रीय स्तर उपभोक्ता समूह का प्रतिनिधि-	
रोड, नई दिल्ली-110014-राष्ट्रीय स्तर उपभोक्ता समूह का प्रतिनिधि-	18.	प्रतिनिधि-	
19. डां डी.सी.कटोच, संयुक्त सलाहकार, आयुष विभाग, नई दिल्ली- सदस्य ; आंधुर्वेद, सिद्ध और यूनानी से संबंधित चिकित्सा की भारतीय पद्धतियों के संगमों का प्रतिनिधि-	19.	अखिुर्वेद, सिद्ध और यूनानी से संबंधित चिकित्सा की भारतीय	1

20.	भारतीय गुणवत्ता परिषद का महासचिव, भारतीय गुणवत्ता परिषद,	सदस्य ;
	दूसरा तल, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजिनियर्स भवन, बहादुर शाह जफर	
	मार्ग, नई दिल्ली-110002, पदेन-	

[फा. सं. जैड.-28015/91/2011-एच] अरुण के पंडा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2012

S.O. 497(E).—In exercise of the powers conferred by sub section(1) of section 3 of the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010 (23 of 2010), the Central Government hereby constitutes a National Council for Clinical Establishments consisting of the following Chairperson and Members, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

1. Director General of Health Service, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, ex officio-	Chairperson;
2. Professor Anmol Kalha, Head Post Graduate Studies, Institute of Dental Studies and Technology, Delhi Meerut Road, NH-58, Kadrabad, Modinagar-201201Dist. Ghazipur (UP)-elected representative of Dental Council of India -	Member;
3. Professor K K Talwar, Chairman, Board of Governors, Medical Council of India, Pocket-14, Sector-8, Dwarka, New Delhi-110077-elected representative of Medical Council of India -	Member;
4. Dr. K Reddemma, Dean, Behaviral Sciences, Department of Nursing, National Institute of Mental Health and Neuro Sciences, Bangalore-560029-elected representative of Nursing Council of India -	Member;
5. Dr. T K Ravi, Principal, College of Pharmacy, Sri Rama Krishna Institute of Paramedical Sciences,395 Sarojini Naidu Road, Coimbatore, Tamil Nadu- 641044-elected representative of Pharmacy Council of India-	

6. Dr.Jayaprakash Narayan, Vice President (Ayurveda), 93, III cross, 1st Stage, Dollar Scheme, BTM Layout, Bangalore-60068-elected representative of Central Council of Indian Medicines representing the Ayurveda system of medicine -	Member;
7. Professor Hakim Syed Khaleeffathullah, Vice-President(Unani), 109, Bharathi Salai, Triplicane, Chennai, Tamil Nadu -600005-elected representative of Central Council of Indian Medicines representing the Unani system of medicine-	Member;
8. Dr.V.Stanley Jones, Vice-President (Siddha), TC 36/1917-3,Near Bank of Baroda, EnchakkalJunction, Thiruvananthapuram, Pin- 695008- elected representative of Central Council of Indian Medicine representing the Unani system of medicine -	Member;
9. Dr. Ramjee Singh, President, Central Council of Homoeopathy, Jawaharlal Nehru Bhartiya Chikitsa Avum Homoeopathy Anusandhan Bhavan, No.61-65, Institutional Area, Opposite- 'D' Block, Janakpuri, New Delhi-110058-elected representative of Central Council of Homoeopathy -	Member;
10. Dr. D R Rai, Finance Secretary, Indian Medical Association, Indian Medical Association House, Indraprastha Marg, New Delhi-110002-elected representative of Central Council of the Indian Medical Association-	Member;
11. Shri Rakesh Kumar, Scientist 'F' and Head of Medical Equipment and Hospital Planning(Medical Hospital Division), Manak Bhawan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002-representative of Bureau of the Indian Standards -	Member;
12. Chief Secretary, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad or his nominee - representative of the Zonal Council set up under section 15 of the state Reorganisation Act, 1956-	Member;
13. Chief Secretary, Government of Maharashtra or his nominee - representative of the Zonal Council set up under section 15 of the state Reorganisation Act, 1956-	Member;
14. Advisor (Health), North Eastern Council- representative of the North-Eastern Council set up under section 3 of the North-eastern Council Act, 1971-	Member;

15. Advisor (Planning), North Eastern Council, Ministry of Development of North Eastern Region, North Eastern Council Secretariat, Nongrim Hills, Shillong-793003-representative of the North-Eastern Council set up under section 3 of the North-Eastern Council Act, 1971-	Member;
16. Dr. N. K. Mohanty, Special Director General, Directorate General of Health Services, Nirman Bhawan, New Delhi-representative from the line of paramedical systems –	Member;
17. Dr. V. Patel, Chairman, Consumer Education and Research Society, "Suraksha Sankhool", Thaltej Sarkej- Gandhinagar Highway, Ahmedabad-380054-representative of National Level Consumer Group-	Member;
18. Prof. P.K. Ghosh, Chairman, Voice Society, 441, Jangpura, Mathura Road, New Delhi-110014-representative of National Level Consumer Group-	Member;
19. Dr. D.C. Katoch, Joint Advisor, Department of AYUSH, New Delhi- representative of the Associations of Indian Systems of Medicine relating to Ayurveda, Siddha and Unani-	Member;
20. Secretary-General of the Quality Council of India, Quality Council of India, 2 nd Floor,Institution of Engineers Building,Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002, ex officio-	Member.

[F. No. Z.-28015/91/2011-H] ARUN K. PANDA, Jt. Secy.